पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 37/2019

अनवान :

कृष्ण कुमार पुत्र श्री शेरसिंह जाति जाट निवासी गांव मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र श्री गुगनराम जाति जाट निवासी गांव मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. चन्दगीराम पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी गांव मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. छोटूराम पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी गांव मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुशीला पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी गांव मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 505/467 के खसरा सं0 30 की 6.197 है0, खसरा सं0 685 की 6.740 है0, कुल 12.937 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह का 11/54 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 143/136 के खसरा सं0 247 की 2.251 है0, खसरा सं0 315 की 9.244 है0 कुल 11.495 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह का 11/54 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे व प्रतिवादी सं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर ग्राम अनूपशहर के खाता सं0 512/473 की कृषि भूमि व अन्य कृषि भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20·05·2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

20.5.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 37/2019

अनवान :

कृष्ण कुमार पुत्र.श्री शेरसिंह जाति जाट निवासी गांव मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र श्री गुगनराम जाति जाट निवासी गांव मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. चन्दगीराम पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी गांव मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. छोटूराम पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी गांव मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुशीला पुत्री शेरसिंह जाति जाट निवासी गांव मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : **वादी**

वकील श्री राजेश बैनीवाल : **प्रति0 सं0 1, 3, 4**

निर्णय **दिनांक :** 20.05.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम अनूपशहर के खाता सं0 512/473 के खसरा सं0 22 की 2.782 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 505/467 के खसरा सं0 30 की 6.197 है0, खसरा सं0 685 की 6.740 है0, कुल 12. 937 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह का 11/54 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 143/136 के खसरा सं0 247 की 2. 251 है0, खसरा सं0 315 की 9.244 है0 कुल 11.495 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह का 11/54 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

हस्तगत भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी सम्पति है जिसमें वादी का प्रतिवादी सं0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी शेरसिंह को उपर वर्णित कृषि भूमि अपने पिता गुगनराम से विरासतन प्राप्त हुई है जो महज कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 भी प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादगत कृषि भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है और वादगत कृषि भूमि में तन्हा प्रतिवादी शेरसिंह के स्थान पर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हो गये है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

रोही मौजा ग्राम अनूपशहर के खाता सं0 512/473 के खसरा नं0 22 की 2.782 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त कृषि भूमि शेरसिंह के संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से खरीद की गई कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 नाबालिग होने के कारण उक्त कृषि भूमि उनके नाम दर्ज नहीं करवाई जा सकी।

चक 6 जीजीएम के खाता सं0 52/46 के पत्थर नं0 411/462 के मु0नं0 16 के किला नं0 1 ता 25 की 6.325 है0 जिसमें 5.9455 है0 नहरी व 0.3795 है0 गै0मु0 रास्ता दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह का 130 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि प्रतिवादी सं0 1 की स्वयं की खरीदशुदा कृषि भूमि है जो प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह ने नाम यथावत् रहेगी।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी कृष्ण कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्र प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम अनूपशहर के खाता सं0 512/473, 505/467 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1 व 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मोठसरा के खाता सं0 143/136 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 3, सत्यचित्र/प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 जीजीएम के खाता सं0 52/46 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मोठसरा सम्वत् 2041 से 44 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम अनूपशहर सम्वत् 2043 प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी सम्पति है जिसमें वादी का प्रतिवादी सं0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी शेरसिंह को उपर वर्णित कृषि भूमि अपने पिता गुगनराम से विरासतन प्राप्त हुई है जो महज कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम अनूपशहर के खाता सं0 512/473, 505/467 व ग्राम मोठसरा के खाता सं0 143/136 में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्शनरी सम्पति होना व प्रतिवादी शेरसिंह को अपने पिता गुगनराम से विरासतन प्राप्त होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मोठसरा सम्वत् 2041 से 44 प्रदर्श 5, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम अनूपशहर सम्वत् 2043 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाई है जिनमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा गुगन के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह को विरासतन प्राप्त होना साबित है। ग्राम अनूपशहर के खाता सं0 512/473 की बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य/पुरानी दादालाई जमाबन्दी पेश नहीं की है। इस प्रकार उक्त खाता सं0 512/473 की कृषि भूमि शेरसिंह को अपने पुर्वजों विरासतन प्राप्त होना साबित नहीं है व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 में शेरसिंह के वारिसान में पत्नि श्योकोरी,

कलक्टर ... भादरा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

तीन पुत्र चन्दगीराम, कृष्ण कुमार, छोटूराम व एक पुत्री सुशीला मौजूद होना व इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी आंशिक तौर पर साबित है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 505/467 के खसरा सं0 30 की 6.197 है0, खसरा सं0 685 की 6.740 है0, कुल 12.937 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह का 11/54 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा मोठसरा के खाता सं0 143/136 के खसरा सं0 247 की 2.251 है0, खसरा सं0 315 की 9.244 है0 कुल 11.495 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह का 11/54 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 चारों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे व प्रतिवादी सं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर ग्राम अनूपशहर के खाता सं0 512/473 की कृषि भूमि व अन्य कृषि भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.5.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़